समाचार–प्रकाशनार्थ :–

स्वच्छता कार्य में ओर अधिक गति लायें

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में दिये निर्देश

रतलाम 25 फरवरी । स्वच्छता कार्य हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बैठक लेकर स्वच्छता कार्य में ओर अधिक तेजी लाये जाने के निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने सफाई कार्य की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि सीवरेज होम कनेक्शन के पश्चात सूख चुकी नालियों में किसी प्रकार का कचरा ना हो साथ ही गीली नालियों में भी किसी प्रकार से गीला कचरा ना रहे इसका विशेष ध्यान रखा जाये। साथ ही उन्होने निर्देशित किया शहर के मुख्य मार्गो की सफाई प्रातः दोपहर व रात्री में प्रतिदिन नियमित रूप से की जाये व सड़क के किनारो, फुटपाथ व डिवाईडरो के आस पास कचरा व मिट्टी को पुरी तरह स सफाई कराई जाये तथा जहां आवश्यकता हो वहां ट्रीटेड वॉटर से धुलाई करवाई जाये।

इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि नगर के 101 ऐसे उद्यान जहां औषधिय पौधो का रोपण किया गया है वहां पर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था 28 फरवरी तक अनिवार्य रूप से करवाई जाये।

बैठक में उन्होने कहा कि सीवरेज के ट्रीटेड वॉटर का रियूज भवन निर्माण कार्यो में अधिक से अधिक हो इसलिये झोन प्रभारी अपन–अपने क्षेत्र में कमर्शियल ट्यूबवेलो का सवे कर सूची प्रस्तुत करें ताकि उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकें।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री मोहम्मद हनीफ शेख, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, प्रभारी सहायक यंत्री श्री एम.के. जैन, उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडित, बी.एल. चौधरी, ब्रजेश कुशवाह, निज सहायक श्री सुभाष गोयल, झोन प्रभारी व पर्यवेक्षक उपस्थित थे।

ट्रीटेड वॉटर का निर्माण कार्यो में उपयोग कर भू–जल स्तर का बचायें

10.80 लाख लीटर ट्रीटेड वॉटर का हुआ रियूज

रतलाम 25 फरवरी । सीवरेज योजना के करमदी व खेतलपुर एसटीपी प्लांट में सीवरेज वॉटर को ट्रीटेड किया जाकर नगर निगम द्वारा उसका रियूज किया जा रहा है जिसके तहत 8 दिनों में करमदी एसटीपी प्लांट से 5.30 लाख व खेतलपुर एसटीपी प्लांट से 5.50 लाख लीटर पानी का रियूज करते हुए नगर निगम के उद्यानों में सिंचाई, आग बुझाने हेतु फायर लॉरी में, वाहनों की धुलाई, रोड डिवाईडरों की सफाई व डिवाईडर में लगे पौधो में सिंचाई के कार्य में उपयोग लिया गया।

नगर निगम आयुक्त श्री सामनाथ झारिया ने सिविल कार्य के ठेकेदार, भवन निर्माण करने वाले नागरिक आदि से अपील की है कि वे भवन निर्माण कार्य में ट्यूबवेल का पानी उपयोग ना करते हुए नगर निगम के खेतलपुर व करमदी एसटीपी प्लांट से 50/– प्रति

किलोलीटर के मान से ट्रीटेड वॉटर क्रय करक भवन का निर्माण करें जिससे ट्रीटेड वॉटर का रियूज हो सकें व भू–जल स्तर को भी बचाया जा सकें।

भवन व व्यावसायिक प्रतिष्ठान नपती के दौरान अधिक क्षेत्रफल पाये जाने पर 5 गुना शास्ति के साथ भरना होगा संपत्तिकर

बाबुलाल लुणावत व बद्रीलाल अमरा को 14 व 10 लाख के बिल जारी

रतलाम 25 फरवरी । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्रो सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार संपत्तिकर विभाग के अमले द्वारा नगर में 5000 स्क्वेयर फीट से अधिक के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, भवनों की नपती की जा रही है जिसके तहत विवरणी में दर्शाये गये क्षेत्रफल से अधिक का एरिया पाये जाने पर संबंधित पर अधिक क्षेत्रफल का बिल 5 गुना शास्ति के साथ दिया जा रहा है।

संपत्तिकर विभाग द्वारा 5000 स्क्वेयर फीट से अधिक के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, भवनों की नपती के तहत करमदी रोड क्षेत्र में बद्रीलाल अमराजी के भवन का क्षेत्रफल अधिक पाये जाने पर 5 गुना शास्ति के साथ राशि रूपये 10, 37, 381/– व गफ्फुर मार्ग क्षेत्र में बाबुलाल–मिश्रीमल लुणावत लुणावत मार्केट का क्षेत्रफल अधिक पाये जाने पर 5 गुना शास्ति के साथ राशि रूपये 14,76,573/– का बिल निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार दिया गया है।

शहर के चार स्थानों से हटाया अतिक्रमण

रतलाम 25 फरवरी । नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने 25 फरवरी को माणक चौक क्षेत्र में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अतिक्रमण हटान की मुहिम प्रारंभ करते हुए महालक्ष्मो मंदिर से गणेश देवरी तक 40 दुकानों के सामने बने ओटले, टीन शेड को हटाया गया व दुकानों के बाहर रखे समान को हटाते हुए 10 ठेलागाड़ियों को भी हटाया।

इसके अलावा डाट की पुल से डीआरएम ऑफिस तक होटल व दुकानदारों द्वारा सड़क व फुटपाथ पर रखी सामग्री को हटाते हुए दो बत्ती क्षेत्र में जी.डी. अंकलेसरिया द्वारा भवन निर्माण सामग्री व मलबे को जब्त किया गया। इसके अलावा प्रताप नगर ब्रीज से ठेलागाड़ी को जब्त किया गया।

उक्त कार्यवाही अतिक्रमण दस्ता प्रभारी श्री राजेन्द्र मिश्रा के निर्देशन में की गई इस अवसर पर नगर निगम इंजीनियर व पुलिस प्रशासन उपस्थित था।

नेशनल लोक अदालत का 12 मार्च शनिवार को आयोजन

संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा करने पर अधिभार (सरचार्ज) की राशि में छूट

बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राशि

रतलाम 25 फरवरी । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 12 मार्च 2022 शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर

निगम कायालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में शिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/— (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/— (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/— (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/— (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/— से अधिक तथा रूपये 50,000/— तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 पतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/— (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया हाने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/— से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार **(One Time Settlement)** ही दी जायेगी। यह छूट वर्ष 2020—21 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 12/03/2022 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर क बकायादारों से अपील की जाती है कि 12 मार्च 2022 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) में छूट का लाभ उठावें।

नगर निगम के विभिन्न करों से 27.21 लाख हुआ राजस्व प्राप्त

रतलाम 25 फरवरो । संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास शाखा, बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 25 फरवरी शक्रवार को कुल राशि रूपये 27,21,854/— का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 25 फरवरी शुक्रवार को संपत्तिकर शिविर से 55362, कार्यालय 393726 कुल 449088, जलकर शिविर 67140, कार्यालय 159285, वसूली दल 102850 कुल 329275, स्पॉट फाईन 7400, लायसेंस 11780, दुकान गुमटी किराया कार्यालय 6467 वसूली दल 259528 कुल 265995, लीजरेंट 125281 व कम्पाउडिंग फीस 1533035 इस तरह कुल राशि रूपय 27,21,854/— का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

25 फरवरी को 88 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 25 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर—घर से पृथक—पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले—सूखे कचरे व सड़को व नाले—नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का

प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 25 फरवरी शुक्रवार को 88 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

25 फरवरी शुक्रवार को डम्पर से 37990, ट्रेक्टर से 13170, काम्पेक्टर सूखा कचरा 11945, काम्पेक्टर गीला कचरा 22270, मैजिक सूखा कचरा 1675, मैजिक गीला कचरा 1340 किलो इस तरह कुल 88390 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

16 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त

रतलाम 25 फरवरी । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम क निर्देशानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 11 व दोपहर में 8 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

25 फरवरी शुक्रवार को वार्डो में सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में निलेश–महेश, शांतिलाल–बाबुलाल, महेश–पंचम, कमल–दुलीचन्द, बरखा पति सुरेश, झोन क्रमांक 2 में महेन्द्र–नेहरू, शकुन्तलाबाई पति अर्जून, झोन क्रमांक 3 में धर्मेन्द्र–रामचन्द्र, रीनाबाई पति दिनेश, झोन क्रमांक 4 में भारत–रामलाल, दोपहर की उपस्थिति के दौरान झोन क्रमांक 1 में मोहन–मांगीलाल, झोन क्रमांक 2 में सरवन–प्रकाश, उषाबाई पति अशोक, झोन क्रमांक 3 में धर्मेन्द्र–रामचन्द्र, रीनाबाई पति दिनेश, झोन क्रमांक 4 में बबीताबाई पति विक्रम इस तरह 16 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्त/निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

अमानक स्तर की पॉलीथीन उपयोग करने पर 4 व्यक्तियों पर जुर्माना

100 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 25 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जान हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक (प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्ड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झण्डे, कैंडी स्टिक, आईस्क्रीम स्टीक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, ग्लास, फोर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, स्वीट बाक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टिर्रस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व

पीबीसी के बैनर) के उपयोग को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

अभियान के तहत 24 फरवरी को बालाजी रेस्टोरेंट, मौर्य नमकीन पावर हाउस रोड, राजेन्द्र चाट सेंटर व राधाबाई सोलंकी अमानक स्तर की पॉलीथीन उपयोग करने पर 500–500 रूपये का स्पॉट फाईन किया गया।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक (पॉलीथीन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ, सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करायें रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 25 जनवरी । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जाा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे श्वान पालक जिन्होने अपने श्वान का रजिस्टेशन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना–पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले श्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000/– एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500/– प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100/– रूपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम् 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने श्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

दो बत्ती पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली शिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 89.59 लाख व जलकर 22.92 लाख की बकाया राशि जमा कराई

रतलाम 25 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू–भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 3,28,822/– व जलकर 54,850/–, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,62,575/– व जलकर 34,520/–, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 3,02,013/– व जलकर 63,450/–, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,85,292/– व जलकर 1,19,720/–, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 3,20,857/– व जलकर 62,950/–, तिरूपति नगर शिविर में संपत्तिकर 1,28,977/– व जलकर 28,870/–, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,16,000/– व जलकर 14,000/–, इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास शिविर में संपत्तिकर 2,51,600/– व जलकर 1,04,640/–, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 8,61,206/– व जलकर 1,21,090/–, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 2,14,000/– व जलकर 47,000/–, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 2,54,422/– व जलकर 83,700/–, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 1,71,500/– व जलकर 27,540/–, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,96,281/– व जलकर 40,240/–, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,45,000/– व जलकर 31,760/–, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 3,36,077/– व जलकर 72,440/–, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 98,534/– व जलकर 37,465/–, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 87,732/– व जलकर 36,660/–, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,91,455/– व जलकर 92,125/–, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 4,97,298/– व जलकर 64,770/–, रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1,59,241/– व जलकर 28,140/–, लक्कड़पीठा शिविर में संपत्तिकर 6,11,920/– व जलकर 1,56,600/–, धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 3,60,338/– व जलकर 1,67,280/–, किरण टॉकिज शिविर में संपत्तिकर 3,89,541/– व जलकर 76,625/–, आनन्द कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,20,807/– व जलकर 37,520/–, प्रताप नगर शिविर में संपत्तिकर 1,91,836/– व जलकर 72,860/–, महावीर नगर शिविर में संपत्तिकर 87,741/– व जलकर 37,140/– पैलेस रोड शिविर में संपत्तिकर 2,81,036/– व जलकर 89,570/–, चौगानिया भैरू मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 91,157/– व जलकर 46,510/–, सायर चबुतरा शिविर में संपत्तिकर 1,62,036/– व जलकर 1,05,060/–, चौमुखी पुल शिविर में संपत्तिकर 5,20,421/– व जलकर 1,62,610/–, बजाजखाना शिविर में संपत्तिकर 3,19,606/– व जलकर 98,030/–, शास्त्रीनगर शिविर में संपत्तिकर 4,48,489/– व जलकर 1,10,940/–, दो बत्ती शिविर में संपत्तिकर 55,362/– व जलकर 67,140/– की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिंये 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिशत अवैध निर्माण का होगा प्रशमन (कम्पाउडिंग)

28 फरवरी तक प्रशमन शुल्क में दी जा रही 20 प्रतिशत छूट

रतलाम 25 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रशमन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रशमन (कम्पाउडिंग) 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

3141 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 112 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 25 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झान कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2636 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/— तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेत, 205 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/— ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 107 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 25 फरवरी । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 25 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया ह।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवं। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 25 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड

प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 पतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 25 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 25.02.2022 / न.पा.निगम, रतलाम.